



Pt. Prithi Nath (P.G.) College

(Affiliated to C.S.J.M. University, Kanpur)

96/12, Mahatma Gandhi Marg, Kanpur - 208 001

Website : www.ppncollege.org • e-mail : ppncollegekanpur@gmail.com



Ref. No.

Dated 31.08.2026

साईकिल स्टैण्ड (2026-27) आवंटन निविदा सूचना एवं आवश्यक निर्देश

- 1 ठेका वर्ष 2026-27 के लिए सितम्बर 2026 से 30 जून 2027 तक की अवधि हेतु आवंटित होगा।
- 2 निविदा के साथ रू0 5,000.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट पी0पी0एन0 कालेज जनरल एकाउण्ट के पक्ष में देय संलग्न करें अन्यथा की स्थिति स्वीकार नहीं होगी।
- 3 ठेका आवंटन होने पर उक्त रू0 5,000.00 की राशि अधिकतम ठेका मूल्य देने वाले निविदादाता की जमा की जाने वाली राशि में समायोजित कर दी जायेगी। अन्य निविदादाताओं की जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
- 4 किसी निविदादाता की निविदा अधिकतम पायी जाती है और उसको ठेका आवंटित हो जाता है। यदि निविदादाता ठेका चलाने की असहमति व्यक्त करता है, तो उसकी रू0 5,000.00 राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 5 न्यूनतम स्टैण्ड मूल्य 1,00,000.00 होगा।
- 6 निविदा प्रारम्भ होने की तिथि 01/09/2026 तथा निविदा पंजीकृत डाक द्वारा महाविद्यालय में प्राप्त होने की तिथि 15/09/2026 को सायं 05:00 बजे तक होगी।
- 7 निविदा आवंटन की सूचना डाक द्वारा दी जायेगी।

प्रतिलिपि: डॉ0 सतीश चन्द्रा, को महाविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

डॉ0 मनिन्दर सिंह अरोड़ा समन्वक, क्रय समिति सूचनार्थ।


PRINCIPAL

PT. PRITHI NATH (P.G.) COLLEGE
KANPUR


PRINCIPAL

PT. PRITHI NATH (P.G.) COLLEGE
KANPUR

साईकिल स्टैण्ड ठेके –2026–27 हेतु नियम व शर्तें

- 01 साईकिल स्टैण्ड का ठेका दिनांक से तक होगा।
- 02 उपरोक्त अवधि के ठेके की राशि एकमुस्त एवं इस राशि के 04 प्रतिशत राशि के स्टाम्प पेपर अनुबन्ध हेतु आवंटन के समय कार्य प्रारम्भ करने से पहले ठेकेदार को लेखा विभाग में जमा होगा।
- 03 ठेकेदार छात्र/छात्राओं को निम्न दर पर वाहर खड़ा करने देगा।
साईकिल – रू0 5.00 प्रतिदिन या रू0 100.00 प्रतिमाह
स्कूटर/मोटर साईकिल – रू0 15.00 प्रति दिन या रू0 300.00 प्रतिमाह
ठेकेदार उक्त दरों का साईन बोर्ड बनवाकर स्टैण्ड परिसर में लगायेगा। यदि ठेकेदार निर्धारित दरों से अधिक धनराशि लेता है तो महाविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में आने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
- 04 ठेकेदार स्टैण्ड में स्टाफ की साईकिल/स्कूटर/कार को निशुल्क रखेगा तथा उसकी निगरानी करेगा।
- 05 ठेकेदार का महाविद्यालय में कार्यरत कोई सगा सम्बन्धी नहीं होगा, यदि ऐसा पाया जाता है तो तत्काल ठेका समाप्त कर दिया जायेगा। (सगे सम्बन्धी न होने का एक शपथ पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा।)
- 06 ठेकेदार छात्र/छात्राओं चार पहिया वाहन को खड़ा नहीं होने देगा।
- 07 महाविद्यालय के बाहर के व्यक्तियों/छात्रों की साईकिल/स्कूटर/मोटर साईकिल आदि को स्टैण्ड में रहीं रखेगा।
- 08 साईकिल स्टैण्ड/स्कूटर/मोटर साईकिल चोरी होने अथवा उसके किसी पार्ट्स के गायब होने पर क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- 09 ठेकेदार स्वयं व अपने साथ अधिकतम दो व्यक्तियों के नाम पते प्राचार्य को लिखित सूचित करेगा।
- 10 किसी भी बाहरी व्यक्ति को ठेकेदार न ही लायेगा व न ही स्टैण्ड पर बैठने की अनुमति देगा।
- 11 महाविद्यालय बन्द होने के उपरान्त ठेकेदार व उसके कर्मचारी महाविद्यालय में नहीं रुकेंगे।



PRINCIPAL
PT. PRITHI NATH (P.G.) COLLEGE
KANPUR

- 12 ठेकेदार व उसके कर्मचारी या अन्य व्यक्ति साईकिल स्टैण्ड से किसी पदार्थ/सामान की किसी भी प्रकार की बिक्री नहीं करेंगे न ही करने देंगे।
- 13 ठेकेदार किसी भी छात्र/छात्रा समूह को साईकिल स्टैण्ड में इकट्ठा नहीं होने देगा न ही उनसे किसी प्रकार का व्यावहारिक संबंध रखेगा सिवाय स्टैण्ड के प्रयोग के अतिरिक्त।
- 14 ठेकेदार कालेज समस्या/घटना के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी महाविद्यालय प्रशासन को आवश्यकता होगी तो वह जानकारी प्राचार्य को स्वयं व्यक्तिगत रूप से अथवा मांगे जाने पर लिखित रूप में देगा। ठेकेदार कालेज की किसी समस्या या कालेज सम्बन्धित घटना या विवाद में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा।
- 15 ठेकेदार द्वारा यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया गया या नहीं इस पर प्रबंधक/प्राचार्य का निर्णय मान्य होगा।


PRINCIPAL
PT. PRITHI NATH (P.G.) COLLEGE
KANPUR